न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 18/2024/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

प्यारेलाल पुत्र नेमीचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम खूड़ी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खूड़ी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)
2. हितेश चौधरी, आर.टी.एस. वर्तमान तहसीलदार फतेहपुर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुमित थालौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थानान्तरित किये जाने आवेदन संख्या 01/2024 किस्म मुकदमा 183'बी' रा.का.अधि. उनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर विरूद्ध पीठासीन अधिकारी श्री हितेश चौधरी आर.टी.एस.

निर्णय

दिनांक : 10 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र **न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर** में विचाराधीन **प्रकरण संख्या 01/2024 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 183'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल** को अन्यत्र न्यायालय में सुनवायी हेतु स्थानान्तरित करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है:—

(1) अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 20.09.2024 को एक आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि मुकदमा संख्या 01/2024 बउनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल दर्ज कर प्रार्थी के नाम नोटिस जारी कर उपस्थिति हेतु दिनांक 10.10.2024 नियत की गई है। नियत दिनांक 10.10.2024 को प्रार्थी जरिये वकील अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित हुआ तथा प्रकरण में दस्तावेजों के प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए समुचित समय दिये जाने की मांग की परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(2) अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थी की आशंका को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर **न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर** में विचाराधीन **प्रकरण संख्या 01/2024 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 183'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल** को अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया गया। जिसमें अंकित किया गया है कि, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनवानी आवेदन अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रकरण संख्या 01/2024 के रूप में दर्ज करते हुए प्रार्थी के नाम से नोटिस जारी कर आ.ता.पे. दिनांक 10.10.2024 दी गई थी। जिसके बाद प्रार्थी के उपस्थित होने एवं समय चाहा जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को समय दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित समस्त आक्षेप निराधार हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार टिप्पणी में अंकित किया गया है कि, प्रार्थी प्यारेलाल द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन में अंकित कथन कपोल कल्पित एवं मनगढंत हैं।

4. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 01/2024 अन्तर्गत धारा 183'बी' आर.टी.ए. उनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल में प्रार्थी को दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के स्थान पर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाये जावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार एवं न्यायसंगत

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी की शंका निराधार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध आवेदन, जवाब आवेदन, दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन उनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल अन्तर्गत धारा 183'बी' आर.टी.ए. को दिनांक 20.09.2024 को प्रकरण संख्या 01/2024 के रूप में दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर आ.ता.पे. 10.10.2024 नियत की गई थी। जिसके बाद दिनांक 10.10.2024 को प्रार्थी प्यारेलाल जरिये वकील श्री रजनीश के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया एवं आ.ता.पे. 21.10.2024 नियत की गई, जिससे पूर्व ही प्रार्थी ने दिनांक 17.10.2024 को इस न्यायालय में मुंतकिली आवेदन प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित आक्षेप को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्यारेलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है। **अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फतेहपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2024 बउनवानी अशोक कुमार बनाम प्यारेलाल अन्तर्गत धारा 183'बी' आर.टी.ए. में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।**

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांक **10 दिसम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर